बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 71/12–13

(1) परिचियात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला गोपालगंज स्थित सहायता प्राप्त के0 डी0 आर0 मध्य विद्यालय, माद्योपुर के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त राशि का अंकेक्षण।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – 2006–07 से 2010–11 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन (विकास) विभाग , (प्राथमिक) बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री अत्रीमुनी शर्मा, जिला शिक्षा अधीक्षक 1.4.06 से 1.7.06 तक

2. श्री नितीश चन्द्र मंडल, जिला शिक्षा अधीक्षक 1.7.06 से 18.3.08 तक

3. श्री राकेश कुमार चौधरी जिला शिक्षा अधीक्षक 18.3.08 से 29.6.11 तक

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखापदाधिकारी एंव कर्मचारियों का नाम/पदनाम एंव कार्यकाल –

1. श्री अजीत कुमार उपाध्याय , प्रधानाध्यापक 1.4.06 से 31.3.11 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 का नाम , पदनाम –

1. श्री वृजनन्दन सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
2. श्री अजीत कुमार उपाध्याय, प्रधानाध्यापक
3. श्री रामपदार्थ राम, प्रधान सहायक

(छ) अंकेक्षको के नाम – 1. श्री रमेश प्रसाद , व0 अं0– 2

2. श्री अशोक कुमार ओझा ,व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 14.10.11 (सम्मिलित रूप से)

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 31.5.2012

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 59 (सम्मिलित रूप से)

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एंव अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य ।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि –

विभागीय ज्ञापांक 3286 दि0 15.09.60

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – विद्यालय में नामांकित छात्रों को शिक्षा प्रदान करना एंव अनुशासान सिखाना है।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – अनुदान एंव आवंटन

वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2008–09 तक में अनुदान एंव वर्ष 2009–10 से 2010–11 में आवंटन प्राप्त हुआ था। उक्त अवधि में अनुदान एंव आवंटन प्राप्त हुआ था। उक्त अवधि में अनुदान एंव आवंटन सम्मिलित रूप से जिला शिक्षा अधीक्षक, गोपालगंज को प्राप्त हुआ था। विस्तृत विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति : – शत् प्रतिशत् सत्यापन किया गया हाँ। जिला गोपालगंज अंतर्गत सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय का वर्ष 2009–10 एंव 2010–11 का प्राप्त आवंटन से संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक गोपालगंज द्वारा निकासी राशि का सत्यापन जिला कोषागार गोपालगंज के अभिलेखों एंव कम्प्यूटर सी0 डी0 से शत् प्रतिशत् किया एंव सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– महालेखाकर का पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण को प्रस्तुत नही किया गया।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– कार्यालय द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया था।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

1. आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी है– नही।
2. अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया– नही।
3. प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था– प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित नही किया गया था।
4. रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति– भौतिक सत्यापन किया गया – नही।

   जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा अल्पसंख्यक/सहायताप्राप्त सभी चार विद्यालयों का रोकड़ पुस्त एक साथ संधारण किया गया था। सहायता प्राप्त/अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों का रोकड़ पुस्त का संधारण अलग–अलग नही किया गया था। साथ ही अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक रोकड़पुस्त दिनांक 28.3.11 तक ही लिखा पाया गया। अतः रोकड़ का भौतिक सत्यापन नही किया जा सका।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :—

	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/कम
प्रधानाध्यापक	01	01	—
सहायक शिक्षक	06	06	—
आदेशपाल	01	—	01

भाग— 2

(शून्य)

भाग— 3 (सुझावात्मक)

(5) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :—

(i) अनुदान की अवशेष राशि रू0 2625.00 रोकड़ पंजी के आय पक्ष में अंकित करने के सम्बन्ध में :—

अल्पसंख्यक /सहायताप्राप्त मध्य विद्यालयों के रोकड़ पंजी (जिला कार्यक्रम पदा0 कार्यालय) दि0 31.12.07 से दिनांक 17.06.09 तक के अवलोकन/जाँचक्रम में रू0 2625.00 अवशेष के रूप में दि0 17.6.09 को पाया गया। इस रोकड़ पंजी के बाद दूसरा नया रोकड़ पंजी का संधारण दि0 2.1.10 से शून्य से प्रारभ्भ किया गया। इस नये रोकड़ पंजी में पूर्व के रोकड़ पंजी की अवशेष राशि रू0 2625.00 को प्रारभ्भ शेष के रूप में नही लिया गया पाया गया।

उल्लेखनीय है कि रू0 2625.00 निदेशक प्रारभ्भिक शिक्षा, बिहार, पटना से सहायताप्राप्त/अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों के शिक्षण के वेतन के शिक्षण के वेतन भुगतान हेतु प्राप्त बैंक ड्राफ्ट की अवशेष राशि थी।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि "रोकड़ पंजी के आय पक्ष में इस राशि की प्रविष्ठि कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः अनुदान की अवशेष राशि रू0 2625.00 को संबंधित रोकड़ पंजी के आय पक्ष में अंकित करते हुए इस अनुदान की राशि को मानव संसाधन विभाग (प्राथमिक शिक्षा) को वापस किया जाय तथा अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(ii) रू0 4754.00 व्ययगत होने के सम्बन्ध में :–

वर्ष 2009–10 में रू0 5900000.00 का आवंटन प्राप्त था जिसमें से रू0 5895246.00 की निकासी की गयी थी। इस प्रकार रू0 4754.00 अवशेष रहा। इस अवशेष राशि को प्रत्यार्पण नही किया गया और यह राशि व्ययगत (लैप्स) हो गयी। भविष्य में इस बिन्दु पर ध्यान रखा जाय कि कोई भी राशि व्ययगत (लैप्स) न हो तथा ससमय प्रत्यार्पित कर किया जाये।

(iii) बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 एंव 105 (अ) में प्रावधान है कि प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाय। तत् सम्बन्धी प्रमाण पत्र रोकड़ पुस्त में अंकित किया जायेगा। परन्तु उक्त नियमों का पालन नही किया गया।

(iv) रोकड़ पंजी के आय पक्ष एंव व्यय पक्ष में प्रविष्ट आय– व्यय की राशि की तिथियों में क्रमिक एकरूपता नही पाया गया। भविष्य में इसे दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाय।

(v) वर्ष 2009 –10 एंव 2010–11 में रोकड़ पंजी के आय पक्ष में आवंटित राशि को अंकित किया गया था जबकि आवंटित राशि के विरूद्ध कोषागार द्वारा निकासी की गयी राशि को आय पक्ष में अंकित किया जाना चाहिए था। भविष्य में इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखा जाय।

(vi) अल्पसंख्यक/सहायता प्राप्त मध्य विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि भुगतान के प्रमाण में भुगतान पंजी में चेक संख्या/लेखा संख्या/अन्य प्रमाण प्राप्ति के रूप में अंकित नही पाया गया। भविष्य में वेतनादि भुगतान से संबंधित प्रमाण को वेतन भुगतान पंजी में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम</u>

(1)

(2)

परिशिष्ट 'क' कंडिका – 1 'ट' से संबंधित

प्रस्तुत अभिलेख

1. विपत्र पंजी 2009–10 एंव 2010–11 (सम्मिलित रूप से)
2. रोकड़ पंजी 31.12.07 से 10–11 तक (डी0 एस0 सी0 सम्मिलित रूप से)
3. आवंटन संचिका/पत्र
4. वेतन भुगतान पंजी (डी0 एस0 सी0 कार्यालय)
5. वेतन भुगतान पंजी (संबंधित विद्यालय)
6. बैंक विवरणी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या – 16928 का 06–07 से 17.6.10 तक नया खाता सं0 1784242394
7. सेवा पुस्त – आंशिक।

अप्रस्तुत अभिलेख

1. रोकड़ पुस्त 1.4.06 से 30.12.07 तक (डी0 एस0 सी0 कार्यालय का)
2. चेक /ड्राफ्ट पंजी
3. चेक आगत /निर्गत पंजी
4. बैंक पंजी
5. बैंक पास बुक
6. बैंक विवरणी (अन्य बैकों का)
7. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कमिर्यो के वेतनादि भुगतान से संबंधित अभिश्रव/प्रमाण पत्र
8. अनुदान एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र की संचिका
9. सामान्य रोकड़ पुस्त (अनुदान से संबंधित)
10. विभिन्न बैंकों के चेकों की अद्यकट्टी
11. सामान्य रोकड़ पुस्त (आवंटन से संबंधित)
12. रोकड़ पुस्त (विद्यालयों का)
13. सेवा पुस्त – आंशिक

14. पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन
15. उच्च पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन
16. रेमिटेन्स रजिस्टर
17. बकाया वेतन भुगतान की विवरणी
18. भविष्य निधि पासबुक

परिशिष्ट 'ख' प्रतिवेदन की कंडिका 2 (iv) से संबंधित

जिला शिक्षा अधीक्षक, गोपालगंज को सहायता प्राप्त/अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों के लिए सम्मिलित रूप से अनुदान, आंवटन तथा डी0 ए0 भी0 मध्य विद्यालय, गोपालगंज के शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मियों का वर्षवार व्यय विवरणी :–

शीर्ष 2202 शिक्षा **आय– व्यय विवरणी**

वर्ष	प्रारम्भण शेष	कुल आय	योग	कुल व्यय (सम्मिलित रूप से)	संवरण शेष	अभियुक्ति
2006–07	–	2961649.00	2961649.00	2961649.00	–	–
2007–08 (31.12.07 से)	36199.40	2823877.00	2860076.40	2847776.00	12300.40	–
2008–09	12300.40	2808000.00	2820300.40	2613379.00	206921.40	–

आवंटन एंव व्यय विवरणी **वर्ष 2009–10 के आय– व्यय पक्ष में सम्मिलित**

वर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय (सम्मिलित रूप से)	अधिक व्यय	बचत	अभ्युिक्ति
09–10	5900000.00	5895246.00	–	4754.00	व्ययगत
10–11	6413809.00	6388688.00	–	25121.00	पत्रांक 293 दि0 1.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित

अल्पसंख्यक/सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय, के0 डी0 आर0 मध्य विद्यालय माधोपुर के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का व्यय – जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा भुगतान की विवरणी :–

वर्ष	के0 डी0 आर0 मध्य विद्यालय माधोपुर के कर्मियों का भुगतान (व्यय)
2006–07	1057522.00
2007–08	1044015.00
2008–09	793161.00
2009–10	1638387.00
2010–11	1853496.00
कुल –	6386581.00